बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
आदेश

संख्या-11/आ04-1045/2025- 1535 पटना, दिनांक- 05/8/26

CGRC Portal पर लंबित शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर दिनांक-02.12.2025 को की गयी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर के गोरौल प्रशाखा अन्तर्गत कुल 347 अदद शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 332 अदद शिकायतों का निष्पादन किया गया एवं शेष 15 अदद शिकायतें उक्त तिथि तक लंबित पायी गयी। पूर्व से निष्पादित शिकायतों में से 47 अदद शिकायतों को Reopen किया गया था, जो उक्त तिथि तक लंबित थी। एक से अधिक बार Reopen किये गये शिकायतों की संख्या 10 अदद थी। इसके अतिरिक्त 137 अदद शिकायतों का निष्पादन विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के पश्चात किया गया था।

02. वर्णित परिप्रेक्ष्य में CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का ससमय निष्पादन नहीं करने की दशा में बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता एवं बिहार सरकारी सेवक नियमावली के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii), 3(1)(iii) का उल्लंघन करने के आरोप में श्री अनिल कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर, प्रशाखा-महुआ अतिरिक्त प्रभार प्रशाखा-गोरौल के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुये विभागीय पत्रांक-159, दिनांक-20.01.2026 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री कुमार के पत्रांक-शून्य, दिनांक-05.02.2026 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया है।

03. प्राप्त स्पष्टीकरण में श्री कुमार द्वारा अपने स्तर से संकल्पों में निहित दिशा-निर्देशों में शिकायत निराकरण की समय-सीमा की जानकारी का आभाव रहने के कारण शिकायतों का निराकरण नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है। श्री कुमार के प्रशाखा स्थित सात दिनों से ज्यादा अवधि से शिकायत लंबित रहने, शिकायतों के Reopen होने एवं संवेदकों के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई की अनुशंसा नहीं किये जाने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा शिकायतों के निराकरण में कोई ठोस प्रयास नहीं करते हुए विभाग को दिग्भ्रमित किया गया है, जो उनके कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

04. उक्त वर्णित स्थिति में श्री कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया। एतदर्थ उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री मनोज कुमार, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं श्री अंजनी कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

05. आरोपित श्री अनिल कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर, प्रशाखा-महुआ अतिरिक्त प्रभार प्रशाखा-गोरौल सम्प्रति कनीय अभियंता, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर जाँच संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव-बयान समर्पित करेंगे।

Order/Tinku ji

क्रमशः

06. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति अनुलग्नक सहित श्री अनिल कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर, प्रशाखा-महुआ अतिरिक्त प्रभार प्रशाखा-गोरौल सम्प्रति कनीय अभियंता, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री मनोज कुमार, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री अंजनी कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर को दी जाय।

ह0/-
(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)
पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-11/आ04-1045/2025-

प्रतिलिपि:-आरोप पत्र की प्रति के साथ जाँच संचालन पदाधिकारी श्री मनोज कुमार, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री अंजनी कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर तथा श्री अनिल कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर, प्रशाखा-महुआ अतिरिक्त प्रभार प्रशाखा-गोरौल सम्प्रति कनीय अभियंता, पदस्थापन की प्रतिक्षा में, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)

ज्ञापांक-11/आ04-1045/2025- 1535
पटना, दिनांक- 05/8/26

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)/(कार्य प्रबंधन)/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, मुजफ्फरपुर अंचल मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)

03-8-26

Order/Tinku ji